

**अध्याय 17**  
**अन्य उपयोगी जानकारी**  
**[धारा 4 (1) (बी) (xvii)]**

**कृपया उन अन्य जानकारी या प्रकाशनों का विवरण नीचे दें जो प्रासंगिक हैं या नागरिकों के उपयोग के हैं।**

राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा केन्द्र तथा जिलों में स्थित जिला शिक्षा केन्द्रों व जनपद स्तर पर जनपद शिक्षा केन्द्र कार्यालयों में नागरिकों के पठन हेतु वांछित जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। जानकारी पठन के लिए सम्बन्धित अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। राज्य शिक्षा केन्द्र में जानकारी पठन की सुविधा राज्य शिक्षा केन्द्र स्थित पुस्तकालय/वाचनालय में उपलब्ध है। जिला व जनपद स्तर पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सुविधाजनक तरीके से बैठने की व्यवस्था की गयी है।